

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण
01 राशि गोवंशीय पशु व 02 अदद अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 राशि गोवंशीय पशु व 01-01 अदद (कुल 02 अदद) अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- अरमान पुत्र अकरम 2- जुबैर पुत्र बैतुल्लाह निवासीगण बढ्यांमाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0- 242/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा बरामद चाकू के सम्बन्ध मे क्रमशः मु0अ0सं0 243/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम अरमान पुत्र अकरम व मु0अ0सं0 244/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम जुबैर पुत्र बैतुल्लाह पंजीकृत किया गया ।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 10 अभियुक्त गिरफ्तार, 2720 रुपये नकद व ताश के 52-52 पत्ते बरामद

थाना दुधारा पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 06 अभियुक्त नाम पता 1 – जमाल अहमद पुत्र मो0 रफीक 2 – आरिफ पुत्र मो0 अयूब 3- अब्दुल वफा पुत्र अली अहमद 4- जितेन्द्र पुत्र मुनीब 5- इरशाद अहमद पुत्र अख्तर अली 6- भीमप्रकाश पुत्र शत्रुघ्न निवासीगण मुण्डेरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 960 रुपये मालफड़, 610 रुपये जामातलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0240/20 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जनार्दन सिंह मय हमराह ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 04 अभियुक्त नाम पता 1 – जुग्गीलाल गौड़ पुत्र चैतू 2 – रवीन्द्र पुत्र रामनरायन 3- सोनू पुत्र रामलाल 4- आकाश पुत्र रिखई निवासीगण खरियांवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 510 रुपये मालफड़, 640 रुपये जामातलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0241/20 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह मय हमराह ।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01-01 अदद नाजायज चाकू(कुल 02 अदद) के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- रामकरन पुत्र तीरथ निवासी मैला गोविन्दपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 2- रामकुमार पुत्र मुसई निवासी कुसमौल थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 233/20 व 234/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 101 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 11 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रही 02 अभियुक्ता नाम पता 1- मीना देवी पत्नी ईशलाल निवासी अशरफपुर केवटहिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 2- आशा देवी पत्नी चैतू निवासी मेलानखुर्द थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को (06-10) कुल 16 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर क्रमशः मु0अ0सं0 237/2020 व 238/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 06 अभियुक्तगण नाम पता 1- आकाश गुप्ता पुत्र गिरीश चन्द्र निवासी रोसया बाजार 2- मोहन पुत्र जगदीश निवासी तेजपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर 3- मोनू निषाद पुत्र योगेन्द्र निवासी नरगड़ा गंगासिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर 4- शिवचन्द्र पुत्र मिठू निवासी घोरांग 5- राजदेव पुत्र दूबर निवासी तेजपुर 6-विजयी पुत्र रामतेज निवासी तामा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को क्रमशः 10-10-10-10-20-10 (कुल 70 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 516/2020, 517/2020, 518/2020, 519/2020, 520/2020 व 521/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 03 अभियुक्त नाम पता 1- ओमकार गुप्ता पुत्र मुरलीधर निवासी भिटियाखुर्द 2- संदीप साहनी उर्फ गोलू पुत्र रामकरन निवासी उत्तरपट्टी 3- हरिहर पुत्र स्व0 मिठाई निवासी गगनईबाबू थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 05-05-05 ली0 (कुल 15 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 229/2020, 230/2020 व 231/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत लुतुही से इवेन्ट संख्या 00237 से कालर नें मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में घटनास्थल पर पहुँचकर घायल हुए व्यक्ति को पाआरवी वाहन से प्रा0 स्व0 केन्द्र नाथनगर में भर्ती कराया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना महुली को कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहले पहुचकर समय से पहुँचकर दुर्घटना

में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु०आ० राजकुमार यादव, आ० अरविन्द गुप्ता, हो०चा० नागेन्द्र प्रसाद।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 188 वाहनो से 164600 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 28-08-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 188 वाहनो से 164600 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।